मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू,

एमसीआईआर

खण्ड | XIV अंक | 9 अप्रैल | 2019

सत्रहवां सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) ने 25 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय कार्यालय, रिज़र्व बैंक, मुंबई में सत्रहवें सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान श्री अगस्टिन कार्स्टेंस, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), स्विट्जरलैंड द्वारा दिया गया। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने अतिथियों का स्वागत किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर श्री सी. डी. देशमुख की स्मृति में रिजर्व बैंक द्वारा 1984 में स्थापित व्याख्यान श्रृंखला के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री कार्स्टेंस ने केंद्रीय बैंकिंग और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन अनुसंधान में भागीदार पर बाते की। उन्होंने वित्तीय समावेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने भाषण की शुरुआत की।

श्री कार्स्टेंस ने कहा कि केंद्रीय बैंकों की वित्तीय प्रणाली में विश्वास की कमी को दूर करने के लिए 'विश्वास'को बढ़ावा देकर और वित्तीय समावेशन के लिए आधार प्रदान करने वाली मूल्य और वित्तीय स्थिरता नामक उनके मूल अध्यादेश पर ध्यान देने में एक प्रमुख भूमिका है। उन्होंने वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मोबाइल मनी सेवाओं और भारत की बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली – आधार – के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने वित्तीय प्रौद्योगिकी के बढ़ते लीवरेज के साथ बाजार की एकाग्रता और डेटा गोपनीयता के मुद्दों के खतरों के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय समावेश एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे हितधारकों और नवोन्मेष के बीच सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

विषयवस्तु

	अनुभाग	पृष्ठ
1.	मौद्रिक नीति	1
2.	बैंकिंग विनियमन	3
3.	बैंकिंग लोकपाल	3
4.	गैर-बैंकिंग विनियमन	4
5.	मिंट स्ट्रीट मेमोज	4
6.	सर्वेक्षण	4
7.	स्पष्टीकरण	7

संपादक से नोट

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक का यह मासिक प्रकाशन हमें मुद्रा और क्रेडिट के विश्व में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत पहलों और नए विकास के बारे में जानकारी रखने में सक्षम बनाता है। एमसीआईआर https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

इस प्रभावशाली संचार उपकरण के माध्यम से, हम सूचना को साझा करने, शिक्षित करने और तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संपर्क में रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आशा करते हैं कि आप एमसीआईआर के इस संस्करण को उपयुक्त पाएंगे और हम आपकी फीडबैक का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करेंगे।

योगेश दयाल
संपादक

1. मौद्रिक नीति

1.क पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019–20

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

I. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 6.00 प्रतिशत किया जाए।

II. परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ रखने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।
https://rbi.org.in/scripts/Annualpolicy.aspx

1.ख विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

i. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल और एलसीआर प्रकटीकरण मानक

एलसीआर के साथ बैंकों की प्रभावी चलनिधि आवश्यकताओं के सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि एलसीआर गणना के लिए अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के अंतर्गत

अतिरिक्त 2.0 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों को एफएएलएलसीआर के रूप में चरणबद्ध रूप में सम्मिलित करने हेतु बैंकों को अनुमति दी जाए।

ii. आवास वित्त प्रतिभूति बाजार के विकास संबंधी समिति

परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण प्रथाओं के मानकीकरण द्वारा लाए गए लाभों के मद्देनजर क्रेडिट और चलनिधि जोखिमों के बेहतर प्रबंधन को सक्षम करने में उनकी भूमिका के रूप में, रिजर्व बैंक ने पहले एक समिति का गठन करने का फैसला किया है जो भारत में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार की अवस्था; वैश्विक वित्तीय संकटों से सीखे गए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के साथ-साथ पाठों का अध्ययन करना; और अपेक्षित महत्वपूर्ण कदम का मूल्यांकन करेगी। समिति की रिपोर्ट अगस्त, 2019 के अंत तक उपलब्ध होगी।

iii. कॉर्पोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास संबंधी कार्य बल

ऋणों में एक सक्रिय द्वितीयक बाजार के लाभों को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक भारत में कॉर्पोरेट ऋणों के लिए एक संपन्न द्वितीयक बाजार विकसित करने के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं सहित प्रासंगिक पहलुओं का अध्ययन करने और उपायों का प्रस्ताव करने के लिए एक कार्यबल का गठन करेगा। कार्यबल का गठन और कार्य क्षेत्र की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कार्यबल की रिपोर्ट अगस्त, 2019 के अंत तक उपलब्ध होगी।

iv. बाह्य बेंचमार्क पर अनुदेश जारी करना

(i) फ्लोटिंग ब्याज दर से संबद्ध आस्तियों के एवज में स्थायी ब्याज दर संबद्ध दायित्वों से बैंकों द्वारा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन और अन्य कठिनाइयाँ और (ii) आईटी प्रणाली अद्यतन के लिए अपेक्षित शीर्ष समय जैसे मुद्दों पर शेयरधारकों के साथ चर्चा के दौरान प्राप्त प्रतिपुष्टी को ध्यान में रखते हुए यह हितधारकों के साथ आगे परामर्श आयोजित करने और दरों के प्रसारण के लिए एक प्रभावी तंत्र का काम करने का निर्णय लिया गया है।

v. काउंटरसाइकलिकल कैपिटल बफर

रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य अनुपूरक संकेतकों के साथ किया जा सकता है। सीसीसीबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीसीबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।

vi. इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (आईसीएसडी) के माध्यम से जी-सेक ट्रेडिंग की अनुमति

आईसीएसडी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय निपटान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। यह गैर-निवासियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए एक नया चैनल खोलेगा।

vii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को लाइसेंस

गैर-व्यापार चालू खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा विक्रय के लिए विनियमित संस्थाओं के अंतिम-मील स्पर्श बिंदुओं में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा लेनदेन की सुविधा में सुधार करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है निवेश और क्रेडिट कंपनियों (आईसीसी) की श्रेणी में गैर-जमा राशि लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां(एनबीएफसी-एनडीएसआई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

viii. भारतीय भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग

प्रमुख देशों में भुगतान प्रणाली और उपकरणों के विरूद्ध भारत की प्रगति का आकलन करने और भुगतान के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों को और गति देने के लिए भारत के भुगतान प्रणाली की बेंचमार्किंग आवश्यक है। इस तरह के प्रयोग के निष्कर्षों वाली एक रिपोर्ट को मई 2019 के अंत तक आरबीआई की वेबसाइट पर रखा जाएगा।
https://rbi.org.in/scripts/Annualpolicy.aspx

1.ग मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 से 4 अप्रैल 2019 को आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक के कार्यवृत्त 18 अप्रैल 2019 को पब्लिक डोमेन पर प्रकाशित किए।बैठक में सभी सदस्य - डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); डॉ. विरल वी. आचार्य, उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर द्वारा की गई। मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता विश्वास, परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन, क्रेडिट स्थिति, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की संभावना तथा व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा करवाए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। समिति ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के ईर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प को अपनाया।

डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के निर्णय के पक्ष में मत दिया।

डॉ. चेतन घाटे और डॉ. विरल वी. आचार्य ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। डॉ.चेतन घाटे, डॉ.पामी दुआ, डॉ.माइकल देबब्रत पात्र, डॉ. विरल वी.आचार्य और श्री शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख को बनाए रखने के निर्णय के पक्ष में मत दिया। डॉ.रवींद्र एच.ढोलकिया ने तटस्थ से समायोजन के लिए रुख बदलने हेतु मत दिया।
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46838

2. बैंकिंग विनियमन

2.क दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए फ्रेमवर्क पर गवर्नर का वक्तव्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12 फरवरी, 2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर रिज़र्व बैंक के परिपत्र को अल्ट्रा वाइरस के रूप में जारी रखा। न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 एए के तहत रिज़र्व बैंक के निर्देश ''जो आमतौर पर देनदारों के संबंध में हैं'' उस खंड के अल्ट्रा वाइरस होंगे। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रिज़र्व बैंक को धारा 35 एए के तहत ''विशिष्ट देनदारों द्वारा विशिष्ट चूक के संबंध में'' अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 एए और अन्य धाराओं के तहत रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ संदेह के दायरे में नहीं हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए, एक संशोधित परिपत्र जारी करना भी आवश्यक हो सकता है।

रिज़र्व बैंक दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की गति को बनाए रखने और उसे बढ़ाने और क्रेडिट अनुशासन के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।
https://rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3659

2.ख विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम फ्रेमवर्क बनाने संबंधी ड्राफ्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2019 को विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क बनाने से संबंधित ड्राफ्ट जारी किया। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ 08 मई, 2019 तक हितधारकों से आमंत्रित की गई हैं। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां / प्रतिक्रिया cgmicdbr@rbi.org.in और brijeshbaisakhiyar@rbi.org.in पर ईमेल द्वारा या डाक से प्रभारी मुख्य महा प्रबन्धक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12 वीं तल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400001 पर भेजी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप समिति ने कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की स्थापना करने का निर्णय लिया, जो फिनटेक के सूक्ष्म पहलूओं और इसके निहितार्थ पर ध्यान दें और रिपोर्ट करें, ताकि विनियामक फ्रेमवर्क की उचित रूप से समीक्षा और सरेखण हो सके और उसे तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश्य की गतिशीलता के अनुरूप बनाया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनटेक विस्तार के घटनाक्रमों का लाभ उठाने के लिए, फिनटेक के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान देने और रिपोर्ट करने के लिए कार्यपालक निदेशक, बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) की अध्यक्षता में एक अंतर-विनियामक कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की स्थापना की। कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट को फरवरी 2018 में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया जिसमें सिफारिश की गई कि अच्छी तरह से परिभाषित स्थान और अवधि के भीतर मविनियामक सैंडबॉक्सफ के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क की शुरुआत की जाएँ ।
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46843

3. बैंकिंग लोकपाल

3.क बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2019 वर्ष 2017-2018 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना,2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना 1995अधिसूचित की गई थी । योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था।

वार्षिक रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं :

- बैंकिंग लोकपाल के 21 कार्यालयों को वर्ष 2017-18 में 1,63,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि हुई।
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने पिछले वर्ष की 92.0% की तुलना में 96.5% की निपटान दर को बनाए रखा।
- वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रमुख कारण थे उचित व्यवहार संहिता का अननुपालन (22.1%), एटीएम और डेबिट कार्ड संबंधी मुद्दे (15.1%), क्रेडिट कार्ड संबंधी मुद्दे (7.7%), प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता (6.8%), मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संबंधी मुद्दे (5.2%)।

- ‘पेंशन’, ‘बिना सूचना के प्रभार शुल्क’, ‘ऋण और अग्रिम’, ‘विप्रेषण’, ‘डीएसए और रिकवरी एजेंट’ और ‘मिस-सेलिंग’ से संबंधित समस्याओं पर शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें प्राप्त कुल शिकायतों में से प्रत्येक का 5 प्रतिशत या उससे कम का हिस्सा है।
- 65.8% निवारणयोग्य शिकायतों को समझौते के माध्यम से समाधान किया गया, यानी मध्यस्थता के माध्यम से। पिछले वर्ष के दौरान, यह आंकड़ा 42.4% था।
- पिछले वर्ष में जारी 31 निर्णयों की तुलना में, 2017-18 में 21 में से 12 बैंकिंग लोकपालों द्वारा 148 निर्णय जारी किए गए ।
- अपीलीय प्राधिकारी को पिछले वर्ष के 15 अपील की तुलना में वर्ष 2017-18 में 125 अपील प्राप्त हुए । 1 जुलाई 2017 से बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर किए जाने संबंधी आधारों के विस्तार के कारण अपील की संख्या में वृद्धि हुई ।
- दक्षता में सुधार और बड़े पैमाने की किफायतों के कारण शिकायत निवारण की औसत लागत 2016-17 में ₹ 3,626/- से घटकर 2017-18 में ₹ 3,504/- हुई ।
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य रूप से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान / स्थानेतर गतिविधियाँ, टाउन हॉल बैठकें, विज्ञापन अभियान आयोजित किए।
- रिज़र्व बैंक के एसएमएस हैंडल ‘आरबीआई कहता है’ का उपयोग बड़े पैमाने पर धन के फर्जी प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधाओं के सुरक्षित उपयोग, बीओ योजना आदि जैसे विषयों पर टेक्स संदेश भेजने के लिए किया गया । रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इंटीग्रेटेड वॉयस रिकॉग्निशन सर्विस सुविधा (14440 पर मिस्ड कॉल देकर) भी जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46886

4. गैर-बैंकिंग विनियमन

4.क रिजर्व बैंक ने जमा न स्वीकारने वाली पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना का विस्तार किया

भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने 26 अप्रैल 2019 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) तक बढ़ा दिया है।यह योजना उन जमा न स्वीकारने वाली पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक बढ़ा दी गई है जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस में 100 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति है। 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में योजना की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक बढ़ाने के बैंक के विचार की घोषणा की गई थी।

तथापि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी -आईएफसी), कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) और लिक्विडेशन के तहत एनबीएफसी को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46900

5. मिंट स्ट्रीट मेमोज

ऑटोमोबाइल बिक्री को कौन ड्राइव कर रहा है? यह क्रेडिट नहीं है

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) श्रृंखला के तहत ऑटोमोबाइल बिक्री को कौन ड्राइव कर रहा है? यह क्रेडिट नहीं है शीर्षक से अठारहवां एमएसएम प्रकाशित किया। सौरभ घोष, पवन गोपालकृष्णन, अभिनव नारायणन और शेखर तोमर द्वारा लिखित पत्र भारत में ऑटोमोबाइल बिक्री वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करता है। यह उन महत्वपूर्ण कारकों को भी रिकॉर्ड करता है जो भारत में ऑटोमोबाइल बिक्री की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। लेखकों ने वाहन पंजीकरण पर अलग-अलग आकड़ों का इस्तेमाल किया है और इस बात के सबूत दिए हैं कि वाहन बीमा और सवारी-सेवाओं के क्षेत्र में सुधार जैसे बाहरी नीतिगत बदलावों ने ऑटोमोबाइल बिक्री में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव उत्पन्न किया है।

https://rbi.org.in/Scripts/MSM_MintStreetMemos.aspx

6. सर्वेक्षण

फॉरवर्ड-लूकिंग सर्वेक्षण के परिणाम:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 अप्रैल 2019 को फॉरवर्ड-लूकिंग सर्वेक्षण के मार्च 2019 राउंड के परिणाम जारी किए।

6.क उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण:

ये सर्वेक्षण 13 शहरों - अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था; तथा इसमें सामान्य आर्थिक

स्थिति, रोजगार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति और पारिवारिक इकाइयों की आय और व्यय के संबंध में 5,343 पारिवारिक इकाइयों की धारणाओं और अपेक्षाओं के लिए प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गईं।

विशेषताएँ:

- मार्च 2019 के सर्वेक्षण चक्र में लगातार दूसरी तिमाही में उपभोक्ता विश्वास सुधरा।
- जिंबकि मौजूदा स्थिति सूचकांक (सीएसआई)दो वर्ष के अंतराल के पश्चात आशावादी क्षेत्र में लौटा, भावी अपेक्षाओं का सूचकांक (एफ़ईआई)133.4 जा पहुँचा, जो सर्वेक्षण इतिहास में सर्वकालीन शिखर है।
- दिसम्बर 2018 के सर्वेक्षण दौर में सामान्य आर्थिक स्थिति पर भावनाओं में देखे गए सुधारों ने मार्च 2019 में और गति प्राप्त की, जिसके तहत वर्तमान धारणाओं और एक वर्ष आगे के लिए उम्मीदों, दोनों में वृद्धि दिखी।
- रोजगार परिदृश्य, जो काफी समय से उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय रहा है, नवम्बर 2016 के सर्वेक्षण चक्र के बाद पहली बार आशावादी क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ।
- उत्तरदाताओं ने कीमतों के स्तर में पिछले एक वर्ष में सुधार महसूस किया तथा उन्हे अगले एक वर्ष में और सुधार की अपेक्षा है।
- घरेलू आय को ले कर भी परिवारों की भावनाओं में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है - जबकि मार्च 2018 दौर में 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रतीत हुआ कि पिछले एक वर्ष में उनकी आय में वृद्धि हुई है, ये अनुपात हाल के सर्वेक्षण दौर में 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है; पिछले कुछ सर्वेक्षण चक्रों में अपेक्षाओं में भी सुधार हुआ है।
- कुल खर्च में पिछले एक साल में वृद्धि रिपोर्ट करने वाले लोगों के अनुपात में मामूली गिरावट कीमतों के स्तर में आई नरमी का प्रबिबिम्ब हो सकता है। परंतु, गैर-आवश्यक खर्च को लेके उत्तरदाता एक वर्ष पहले की अपेक्षा कम उत्साहित थे।

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18942

6.ख मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण

सर्वेक्षण 18 प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था और इसके परिणाम 5,829 शहरी परिवारों के प्रत्युत्तरों पर आधारित हैं।

विशेषताएँ

- दिसंबर 2018 में किए गए अंतिम सर्वेक्षण चक्र की अपेक्षा आगामी तीन महीने और आगामी एक वर्ष, दोनों की मेडियन मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में प्रत्येक में 40 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट आई है।
- संचयी आधार पर मेडियन मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में सितंबर 2018 के चक्र से अगले तीन महीनों के होरिज़न के लिए 160 आधार अंकों और अगले एक वर्ष के होरिज़न के लिए 170 आधार अंकों की गिरावट आई है ।
- सर्वेक्षण के इस चक्र में परिवारों की मौजूदा मुद्रास्फीति धारणाओं और उनकी भविष्य के लिए अपेक्षाओं के बीच का अंतर भी कम हुआ है।
- अगले तीन महीनों में खाद्य एवं गैर-खाद्य उत्पादों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात दिसम्बर 2018 चक्र के मुक़ाबले बढ़ा
- दिसम्बर 2018 चक्र में अगले एक वर्ष के लिए मूल्य स्तर में बदलाव को लेकर परिवारों की गुणात्मक अपेक्षाओं में हुआ सुधार कायम था।
- उत्तरदाताओं के पिछले सर्वेक्षण चक्र के मुक़ाबले एक छोटे वर्ग का मानना था कि आने वाले एक वर्ष के होरिज़न में कीमतें मौजूदा दर से अधिक दर से बढ़ेंगी, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों और आवास की लागत के संबंध में उनकी भावनाओं को दर्शाता है।

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18943

6.ग. समष्टि आर्थिक संकेतों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण– 57 वें चक्र का परिणाम

विशेषताएँ:

I. उत्पादन:

- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2018-19 में 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30 आधार अंकों (बेसिस प्वांइट) की वृद्धि की उम्मीद है।
- वास्तविक निजी अंतिम उपभोग्य व्यय (पीएफ़सीई) की वृद्धि क्रमशः 2018-19 और 2019-20 के दौरान 8.3 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
- वास्तविक सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफ़सीएफ़) की वृद्धि से अनुमानित वास्तविक निवेश दर, 2018-19 में 10.0 प्रतिशत तक सुधरने की संभावना है, लेकिन 2019-20 में घटकर 9.4 प्रतिशत पर होना अपेक्षित है।
- पूर्वानुमानकारों ने 2018-19 और 2019-20 में जीडीपी वृद्धि को अधिकतम संभाव्यता 7.0-7.4 प्रतिशत के श्रेणी में दी है।
- उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कारोबार के चलते 2018-19 और 2019-20 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 6.8 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की क्रमशः वृद्धि अपेक्षित है।

II. मुद्रास्फीति

- तिमाही 4: 2018-19 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) मुद्रास्फीति घटकर 2.4 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है और इसके बाद तिमाही 4: 2019-20 में इसमें क्रमिक वृद्धि होते-होते यह 4.2 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।
- खाद्य और पेय पदार्थ, पान, तंबाकू और मादक द्रव्यों एवं ईंधन और प्रकाश को छोड़कर सीपीआइ मुद्रास्फीति तिमाही 4: 2018-19 में 5.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, लेकिन तिमाही 4: 2019-20 तक 5.0 प्रतिशत से नीचे रहने की उम्मीद है।
- पूर्वानुमानकर्ताओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति को 2018-19 की चौथी तिमाही में और 2019-20 की पहली तिमाही में 2.5-2.9 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी तिमाही में 3.5-3.9 प्रतिशत तथा तीसरी तिमाही में 4.0-4.4 प्रतिशत की श्रेणी की उच्चतम संभाव्यता प्रदान की है।

III. बाह्य क्षेत्र

- 2018-19 के दौरान व्यापार निर्यात और व्यापार आयात में वृद्धि का पूर्वानुमान क्रमशः 8.0 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत पर अपेक्षित है, लेकिन 2019-20 में मंदी की उम्मीद हैं।
- 2018-19 और 2019-20 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) क्रमशः जीडीपी का 2.4 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत पर रहना संभावित है।
- 2019-20 के चौथी तिमाही तक भारतीय रुपया लगभग70 प्रति अमेरिकी डॉलर रहने की संभावना है।

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18944

6 घ औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण:

रिज़र्व बैंक ने जनवरी-मार्च 2019 में औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आइओएस) के 85वें चक्र के परिणाण जारी किए। इस सर्वेक्षण में क्यू4-2018-19 के लिए भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों द्वारा कारोबारी परिदृश्य के गुणात्मक मूल्यांकन और क्यू1-2019-201के लिए उनकी प्रत्याशाओं को कैपचर किया गया है। सर्वेक्षण के इस चक्र में 1,258 कंपनियों से प्रत्युत्तर प्राप्त किए गए।

विशेषताएं:

- 2018-19 की चौथी तिमाही में उत्तरदाताओँ द्वारा मांग की परिस्थितियों का किया गया मूल्यांकन सामान्यतया पिछली तिमाही के जैसा ही था बस फर्क इतना था कि उत्पादन, रोज़गार और निर्यातों को लेकर उनकी भावनाओं में मामूली सुधार दिखा जो आयात को लेकर उनकी आशावादिता में क्षरण के चलते उदासीन ही रहा जबकि ऑर्डर बुक्स में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ।
- समग्र वित्तीय स्थिति के संबंध में उत्तरदाताओं की भावनाएं बिल्कुल बदली हुई थीं, जो आंतरिक निधियों से मिलनेवाले वित्त की उपलब्धता की वजह से थी; तथापि बैंकों से वित्त की उपलब्धता की सुलभता को लेकर उत्तरदाताओं में आशावादिता में कमी पाई गई।
- लागत दबाव, जिसमें वित्त की लागत, कच्ची सामग्री की लागत भी सम्मिलित है, और वेतन व्यय में कमी के कारण विनिर्माताओं, जो घटते लाभ मार्जिन के कारण दबाव से गुज़र रहे थे, को थोड़ी राहत मिली।
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में समग्र कारोबारी भावनाओं में आशावादिता पाई गई, जैसा कि कारोबार मूल्यांकन सूचकांक (बीएएफ)2 में दर्शाया गया है, जो क्यू4:2018-19 में 107.2 पर था।
- क्यू1;2019-20 के लिए प्रत्याशाओं का जहाँ तक संबंध है, उत्तरदाताओं में मांग के परिदृश्य को लेकर मामूली आशावादिता पाई गई, जबकि. रोजगार के अवसरों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया अस्पष्ट थी।
- आंतरिक वित्त की सहज उपलब्धता की प्रत्याशाओं को लेकर समग्र वित्त स्थिति की भावनाओं में सुधार दिखा।
- स्टाफ की लागत में भारी वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए विनिर्माताओं ने 2019-20 की पहली तिमाही में लाभ मार्जिन में दबी-दबी आशावादिता की अभिव्यक्ति की।
- कारोबार प्रत्याशा सूचकांक, जो क्यू4;2018-19 में 116.2 पर था, क्यू1; 2019-20 में घटकर 113.5 हो गया था।

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18945

6.ई विनिर्माण क्षेत्र का माँग पुस्तिका, सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण – तीसरी तिमाही: 2018-19

रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2018 की तिमाही के लिए माँग पुस्तिका, सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के 44 वें चक्र के परिणाम जारी किए, जिसमें 909 विनिर्माण कंपनियां शामिल थीं। यह सर्वेक्षण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थितियों का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएं:

- क्षमता उपयोग (सीयू): क्यू 3: 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के डी-ट्रेंडेड सूचकांक में बढ़त के साथ - साथ सकल स्तर पर, सीयू बढ़कर 75.9 प्रतिशत हो गया। मौसमी समायोजित सीयू भी, क्यू 3: 2018-19 में 0.7 प्रतिशत अंक बढ़कर 76.1 प्रतिशत हो गया था।
- माँग पुस्तिका: 2018-19 में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि धीमी रहने के साथ ही तीसरी तिमाही में वर्षानुवर्ष र तिमाही दर तिमाही प्राप्त नए ऑर्डरों में भी वृद्धि धीमी रही।
- सूची और बिक्री का अनुपात: तीसरी तिमाही में बिक्री की वृद्धि में कमी और ऑर्डर में कमी के कारण विनिर्माण क्षेत्र में तैयार माल और कच्ची सामग्री की मालसूची में भी गिरावट रही, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में तैयार माल सूची का अनुपात (एफजीआइ टु सेल) और बिक्री में कच्ची सामग्री सूची का अनुपात (एमआइ टु सेल) पिछली तिमाही के अनुपात की तुलना में 2018-19 की तीसरी तिमाही में घट गया था।

आरबीआई कहता है

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बड़े पैमाने पर जनता के विशेषकर ग्राहक सेवा के क्षेत्र में, कल्याण के लिए प्रयास करता रहा है । वास्तव में, ग्राहक शिक्षा के माध्यम से ग्राहक संरक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। बैंकों में ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के बारे में आम आदमी को हमेशा जानकारी नहीं होती है। 'आरबीआई कहता है' नामक अपनी सार्वजनिक जागरूकता पहल के माध्यम से, रिज़र्व बैंक का उद्देश्य जनता को उसके नियमों के बारे में शिक्षित करना है, जिसका उद्देश्य बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, जनता को उनके द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में भी जागरूक किया जाता है।

7. स्पष्टीकरण

7.क वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस

भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 अप्रैल, 2019 को स्पष्ट किया कि रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए सप्ताह में 5 कार्यदिवस संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया है। मीडिया के कुछ वर्गों में रिपोर्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में सप्ताह में 5 कार्यदिवस होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

7.ख. लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का विलयन– स्पष्टीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2019 को स्पष्ट किया कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफ़एल) के विलयन को इस स्तर पर रिज़र्व बैंक से की कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड में उसके दो नामित निदेशकों की मौजूदगी से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्ताव पर अप्रत्यक्ष अनुमोदन नहीं होता है। एलवीबी के बोर्ड में रिज़र्व बैंक द्वारा नामित अतिरिक्त निदेशकों की उपस्थिति भी विलय प्रस्ताव पर रिज़र्व बैंक के किसी अनुमोदन को लागू नहीं करती है। अतिरिक्त निदेशकों ने बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रस्ताव पर उनका कोई विचार नहीं है। इन संस्थाओं से जब कभी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा , तब वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46749

भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹ 20 का बैंक नोट जारी किया जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, के हस्ताक्षर है साथ ही नए मूल्यवर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर एलोरा गुफाओं का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है । रिजर्व बैंक द्वारा पहले की शृंखलाओं में जारी ₹ 20 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे ।

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR25554F019D99BE3743D-8D495BE564B7BB1C.PDF

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।